FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..मुकाम..

....बनाम..

किस्म मुकदमा..नम्बर 54 ....वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.11.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उप०। दौराने बहस वकील प्रार्थी / रेस्पो० ने बताया था कि अपीलान्ट द्वारा जिन भूमियो बाबत - अपील पेश कर रखी है उन भूमियों से सम्बंधित प्रकरण अन्य न्यायालयो में विचाराधीन चल रहे है। विचाराधीन चल रहे प्रकरणो से पूर्व अगर अपील का निस्तारण किया जाता है तो पक्षकारों के मध्य ज्यादा विवाद / मुकदमें बढेगे। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अन्य न्यायालयो में विचाराधीन प्रकरणो के निस्तारण तक अपील की कार्यवाही स्थगित कि जावें। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया था कि इन भूमियों से सम्बंधित वाद / प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय व उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष विचाराधीन चल रहे है। दोनो ही जगह पर उभय पक्षों को मौके कि यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर रखा है। रेस्पो० द्वारा स्टे आदेश के दौरान सीमाज्ञान की कार्यवाही करवायी है। अत: रेस्पो० का प्रार्थना पत्र - खारीज फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावें। वकुलाप उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि जिन भूमियो को लेकर अपील प्रस्तुत की गई है उन भूमियो बाबत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर व वरिष्ट सिविल न्यायालय रींगस में वाद / प्रा०पत्र विचाराधीन चल रहे है। वरिष्ट सिविल न्यायाधीश रींगस द्वारा प्रा० पत्र सं	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	43/2022 उनवानी श्यामलाल वगै० बनाम प्रहलाद वगै० मे दिनांक 14.10.22 को निर्णय पारित कर मूल वाद के निर्णय तक उभय पक्षो को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है। इससे यह स्पष्ट है कि इन तथ्यो को दोनो ही पक्ष स्वीकार करते है। इसलिए न्यायहित में रेस्पो० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील कि कार्यवाही स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील में रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 25.7.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 10 CPC स्वीकार किया जाता है तथा अन्य न्यायालयो में इससे सम्बंधित प्रकरणो का जब तक निस्तारण नही हो जाता तब तक अपील में कार्यवाही स्थगित किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही दोनो पक्षों को पांबन्द किया जाता है अन्य न्यायालयो मे विचाराधीन प्रकरणो का निस्तारण किये जाने के पश्चात दोनो ही पक्ष निर्णय की प्रति के साथ इस न्यायालय को सूचित करेगे एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगें। तत्पश्चात अपील का भी निस्तारण कर दिया जावेगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया। (भागीरथ शाख) अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना	

Scanned with OKEN Scanner